संख्या-13/2021/1282/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप,
पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2021

विषयः- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिये जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से निम्नवत् निर्णय लिया गया हैः-

(1) नेट एस.जी.एस.टी. के सत्यापन में वर्णित कठिनाइयों के दृष्टिगत विभिन्न नीतियों के अंतर्गत शासन द्वारा नेट एस.जी.एस.टी. पर आधारित सुविधाओं के संबंध में व्यक्त की गयी प्रतिबद्धता पर कायम रहते हुए तथा प्रदेश में निवेशकों द्वारा इसके आधार पर किये गये निवेश एवं आगे निवेश का वातावरण बनाये रखने, तथा किसी न्यायिक विवाद की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास विभाग की विभिन्न नीतियों के अंतर्गत निवेशकों को नेट एस.जी.एस.टी. आधारित सुविधाओं का वितरण जारी रखा जाए।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संगत नीति में दी गयी समयावधि के अनुसार इकाई द्वारा एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित एस0ओ0पी0 के अनुसार आंकलित आवेदक इकाई को देय धनराशि का 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत क्लेम के भुगतान हेतु इकाई द्वारा अपना आवेदन नोडल एजेन्सी/प्रशासनिक विभाग को, राज्य कर विभाग को नियत प्रारूप (वर्तमान में जी0एस0टी0आर0-9 एवं जी0एस0टी0आर0-9सी) पर आनलाइन दाखिल वार्षिक कर विवरणी की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त आवेदन पर राज्य कर विभाग से निम्न आशय की आख्या प्राप्त की जाएगी कि -

i. आवेदक इकाई द्वारा सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु उक्त वार्षिक कर विवरणी (जी0एस0टी0आर0-9 एवं जी0एस0टी0आर0-9सी), दाखिल कर दी गई है अथवा नहीं।

ii. उक्त इकाई के विरूद्ध राज्य कर विभाग के द्वारा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम के अनुसार किसी प्रकार का कोई नोटिस सुसंगत वित्तीय वर्ष हेतु जारी किया गया है अथवा नहीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राज्य कर विभाग से उक्तानुसार वार्षिक कर विवरणी दाखिल किए जाने तथा किसी नोटिस के जारी न किए जाने की पुष्टि प्राप्त होने के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा अवशेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी नोटिस के निर्गमन की सूचना राज्य कर विभाग अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होती है, तो अवशेष राशि का भुगतान नोटिस के निस्तारण तथा इस आशय की पुष्टि राज्य कर विभाग से प्राप्त हाने के उपरांत ही किया जा सकेगा।

(3) उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत 04 प्रकरणों (मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0 लि0, मेसर्स श्री सीमेंट लि0, मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड एवं मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0) में नोडल एजेन्सी द्वारा सुविधाओं की कम्पनीवार आगणित राशि का वितरण मानक परिचालन प्रक्रिया में उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अनुसार संशोधन के अधीन वितरित धनराशि में कोई परिवर्तन हो तो तद्नुसार संशोधित धनराशि के अनुसार वितरण की कार्यवाही की जाए।

(4) नेट एस.जी.एस.टी. आधारित सुविधाओं के आकलन/पुष्टिकरण में उत्पन्न कठिनाइयों के दृष्टिगत कतिपय राज्यों द्वारा औद्योगिक निवेश नीतियों में नेट एस.जी.एस.टी. से Delink करते हुए नयी नीतियां प्रख्यापित की गयी हैं। अतः व्यवस्था को पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिये औद्योगिक विकास विभाग द्वारा तद्नुसार प्रचलित नीतियों का पुनरीक्षण कर नेट एस.जी.एस.टी. से Delink करते हुए नयी नीतियां प्रख्यापित किये जाने के संबंध में सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2- अतः उपर्युक्त प्रस्तर-1(1) के निर्णय के अनुसार तथा प्रस्तर-1(2) के निर्णय के अधीन निम्नांकित इकाइयों को मेगा परियोजनान्तर्गत अनुमन्य विशेष सुविधायें वितरित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार निम्नलिखित चार इकाईयों को अनुमन्य सुविधायें/रियायतें वितरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) <u>मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0 लि0, रायबरेली ।</u>

अनुमन्य सुविधाएं:-

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**		**2019-20**
1.	कुल एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति		113,47,63,265.00
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति		-
3.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट (पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु)		3,51,59,090.00
4.	कुल (1+2+3)		116,99,22,355.00
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी एस0जी0एस0टी@		143,66,11,548.00
6.	वितरण योग्य अर्ह राशि		116,99,22,355.00
7.	**घटाया-** वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इकाई को वितरित/इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि		62,32,22,335.00
	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति-1.4.2019 से 30.9.2019	58,80,63,245.00	
	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	3,51,59,090.00	
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**		**54,67,00,020.00***

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा किये गये एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत (रू0 54,67,000.00) घटा कर शेष राशि रू0 54,12,33,020.00 कम्पनी को वितरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) <u>मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर (पश्चिमांचल) को सुविधाएं वितरित करने हेतु प्रस्ताव।</u>

अनुमन्य सुविधाएं:-

(राशि रू0 में)

क्र0स0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**		**2019-20**	**2020-21 (1.4.2020 से 30.6.2020)**
1.	कुल एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति		76,62,03,570.00	14,79,22,614.00
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति		19,15,50,892.00	-
3.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट		78,36,338.00	-
4.	कुल (1+2+3)		96,55,90,800.00	14,79,22,614.00
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी एस0जी0एस0टी0 की राशि@		95,77,54,462.00	18,49,03,268.00
6.	वितरण योग्य अर्ह राशि		95,77,54,462.00	14,79,22,614.00
7.	**घटाया-वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इकाई को वितरित/इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि**		21,83,18,818.00	-
	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति-1.4.2019 से 30.6.2019	21,04,82,480	-	-
	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	78,36,338	-	-
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**		73,94,35,644.00	14,79,22,614.00
9.	**वितरण हेतु कुल राशि**			88,73,58,258.00*

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्श में जमा किये गये एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत (रू0 88,73,583.00) घटा कर शेष राशि रू0 87,84,84,675.00 कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(3) मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई

अनुमन्य सुविधाएं:-

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**2019-20**	**2020-21 (1.4.2020 से 30.6.2020)**
1.	कुल एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	67,18,02,169.00	22,90,91,478.00
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	2,00,00,000.00	-
3.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	1,42,80,627.00	-
4.	कुल (1+2+3)	70,60,82,796.00	22,90,91,478.00
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी एस0जी0एस0टी0 की राशि@	83,97,52,713.00	28,63,64,347.00
6.	वितरण योग्य अर्ह राशि	70,60,82,796.00	22,90,91,478.00
7.	**घटाया-वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इकाई को वितरित /इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि**	49,66,23,762.00	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	एस0जी0एस0टी प्रतिपूर्ति- 1.4.2019 से 30.9.2019	48,23,43,135.00	-	-
	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	1,42,80,627.00	-	-
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**		20,94,59,034.00	22,90,91,478.00
9.	**वितरण हेतु कुल राशि**			43,85,50,512.00*

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा किये गये जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।
*कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत (रू0 43,85,505.00) घटाकर शेष राशि रू0 43,41,65,007.00 कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(4) <u>मेसर्स पसवारा पेपर्स लि., मेरठ।</u>

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**		**2019-20**	**2020-21(1.4.2020 से 30.6.2020)**
1.	कुल एस0जी0एस0जी0 प्रतिपूर्ति		4,69,86,125.00	26,97,678.00
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति		2,00,00,000.00	-
3.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट		-	-
4.	कुल (1+2+3)		6,69,86,125.00	26,97,678.00
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी एस0जी0एस0टी0 की राशि@		5,87,32,657.00	33,72,098.00
6.	वितरण योग्य अर्ह राशि		5,87,32,657.00	26,97,678.00
7.	**घटाया-वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इकाई को वितरित/इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि**		1,70,35,354.00	-
	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति- 1.4.2019 से 30.6.2019	1,70,35,354.00	-	-
	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	-	-	-
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**		4,16,97,303.00	26,97,678.00
9.	**वितरण हेतु कुल राशि**			4,43,94,981.00*

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष में जमा किये गये एस.जी.एस.टी.की राशि से अधिक नही होगा।
*कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत (रू0 4,43,950.00) घटा कर शेष राशि रू0 4,39,51,031.00 कम्पनी को वितरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु इम्पावर्ड कमेटी द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार इकाईयों को सुविधाएं एवं रियायतें दी जायेगी।

4- उपर्युक्त इकाईयों को अनुमन्य सुविधाओं का वितरण उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के निर्णय के अनुसार शासनादेश दिनांक 12.06.2020(यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में संशोधन संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के प्रावधानों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- अतः कृपया उपर्युक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, तथा इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।